अनवान सरकार बनाम रोहित

पत्रावली पेश हुई। मूलवाद धारा 177 आरटीए खारिज किया जा चुका है। मूलवाद के खारिज होने से इस प्रकरण का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है। अतः मूल वाद खारिज होने की दशा में इस प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली संलग्न मूल वाद रहे तथा दायरा नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 15:24:39 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner